



तारीख  
हुयम

7-2-20

वकील उमरपस उपस्थित वकील  
अपार्थी द्वारा जबाब पेश न कर्ते हुए  
जस हेतु क्विशन किये जाने पर उमरपस  
की कस सुनी गरी अज्ञात कस पर  
गणन किया गया पत्रावली का अवलोकन  
किया गया वाड अवलोकन न्यायधीन है  
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 0-9-R-4 CPC  
स्वीकार किया जाकर वाड सेरप्रा  
75/2013 अनबानी इलाकची कान  
अबुल के पुनः नये नम्बर पर दर्ज  
करने के आदेश दिये जाने दी पत्रावली  
अभिलेखणाल से प्राप्त की जाकर पुनः  
नये नम्बर पर दर्ज की जावे तथा  
आगामी विधिसम्मत कार्यवाही आरम्भ  
की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कान  
की जाकर मूल पत्रावली प्राप्त होने पर  
वाड तकनीक से मूल वाड के साथ  
संलग्न है।

  
(कपिल यादव)  
महानगर न्यायालय  
एच उमरपस/डा. वि. सी.  
इन्दुमानगढ़

शौचिंत शीर्षक

  
9/8/19

मति ईलाकची पत्नी क  
वासी वाड न. 23 मन्त्र  
जिला इन्दुमानगढ़।

बनाम  
अबुल वादव पि. मु.  
18 मम फतेहगढ़ रोड,

मोहम्मद शरीफ  
अबुल उर्फ राजू  
असलम  
अखतर खाँ

- अबुल अजीज
- 2- अबुल रहीस
- 3- मरीना पुमी स्क. फू  
वाड न. 28 इन्दु
- 4- मलका पत्नी उ  
निवासी हरिज  
श्री मान तहर

वास व  
पु  
प्राथना

A - A

